

सेवा में,

राज्य सूचना अधिकारी कम
महाप्रबंधक (पी.ई.एस.एम.),
एवं अधिकृत सी.पी.आई.ओ. उ० क्षे.-1
नई दिल्ली ।

→ ED (CP & CE)

Dr. Jyoti Singh,
CPIO

उत्तर
13/12/18

विषय :- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना दिये जाने बारे

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आवेदक निम्न सूचना, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत चाहता है । इसके लिए निर्धारित 50/- रूपये फीस भारतीय पोस्टल आर्डर / रसीद नं० 925485742 दिनांक इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त मांगी गई सूचना देने में कागजों आदि पर विभाग का कोई अन्य खर्चा लगता है तो नियम के अनुसार आवेदक उक्त खर्चा देने का पाबन्द रहेगा।

Sh. Raj Nath
13/12

1.	आवेदक का नाम व पता		वेदप्रकाश पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव उखलचना (कोट) तह० बादली जिला झज्जर (हरि०)। मो० नं०
2.	सूचना जिस माध्यम से चाहिए		सभी ममलों की प्रमाणित प्रतियां प्रार्थी को 30 दिन के अन्दर- अन्दर दी जाये ।
3.	सूचना का माध्यम		डाक द्वारा
4.	सूचना जो चाहिए	:-	
	1. यह कि भदानी-माछरौली 400 के.वी. लाईन का पोल नं० 25 और उसके स्पोर्टिंग टावरी का मुआवजा विभाग द्वारा किसके		

नाम से विभाग द्वारा जारी किया गया ? उसका नाम व पता बताया जाये ?

2. यह कि जिसके नाम से मुआवजा जारी किया गया, वह मुआवजा राशि कितनी थी, वह भी बताई जाये ?

3. यह कि उपरोक्त सभी सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सम्बन्धित विभाग की सम्बन्धित रिकार्ड से रिकार्ड की सत्यापित कोपी दी जावे।

उपरोक्त बिन्दु में मांगी गई जानकारी निर्धारित समय अवधि के अन्दर प्रार्थी के पते पर 30 दिन के अन्दर- अन्दर उपलब्ध करवाने का कष्ट करे। यह मांगी गई सूचना या इसका कोई भाग आपके कार्यालय से सम्बन्धित ना हो तो इसे सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) / 5(4) के तहत सम्बन्धित कार्यालय को भेजते हुए प्रार्थी को भी सूचित करें।

प्रार्थी

वेदप्रकाश पुत्र श्री धर्म सिंह,
निवासी गांव उखलचना (कोट) तह0
बादली जिला झज्जर (हरि0)।

मो0 नं0

झज्जर/ 5-12-2018